केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं	CICOM/A/P/24/00106
संदर्भ संचिका सं .	CICOM/R/P/24/00322
अपीलकर्ता	श्री महादेव दास

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	02.08.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	Nill
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	29.08.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बाबू लाल CPIO, (Dak Section)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.09.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	17.09.2024
निर्णय की तारीख	11.10.2024

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.08.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारतीय डाक द्वारा दिनांक 23.05.2024 को भेजी गयी शिकायत पत्र जो यह सूचना आवेदन के साथ सल्गन है इसके विषय में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत सूचना उपलब्ध करने का कृपया करेंगे परन्तु अगर मांगी गई कोई सूचना उक्त कार्यालय में नहीं है तब इसे सूचना अधिकार के नियमतः सूचना आवेदन को संबंधित कार्यालयों को स्थानांतरण करे सूचना उपलब्ध कराने की कृपया करें कि -

1. वह नियमावली, निर्देश, आदेश अथवा अनुमति पत्र का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने का कष्ट करें जिसमे यह उल्लेखित है कि शिकायतकर्ता को उनके द्वारा दर्ज शिकायत के विषय में अवगत या

जानकारी उपलब्ध नहीं कर शिकायत को निष्पादन करने के विषय में निर्देशित, अनुमति अथवा आदेशित उल्लेखित है।

2. भेजी गयी शिकायत पत्र में उल्लेखित विषयानुसार उठाई गयी कदम का दैनिक रिपोर्ट का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने की कृपया करें।

3. वह नियमावली, निर्देश, आदेश अथवा अनुमति पत्र का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने का कष्ट करें जिसमे प्राप्त शिकायत में उल्लेखित विषय पर कोई कार्यवाही नहीं करने का निर्देशित, अनुमति अथवा आदेशित उल्लेखित है।

4. संबंधित लोक सेवकों को लोक कार्य को स्वेच्छा से करने के लिए प्राप्त आदेश अथवा अनुमति पत्र का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने का कृपया करें।

5. भेजी गयी शिकायत पत्र में उल्लेखित विषयनुसार कार्यवाही नहीं करने या कार्यवाही के लिए शिकायत पत्र को संबंधित विभाग एवं कार्यालय में स्थांतरण नहीं करने के एवज में प्राप्त लाभों के विषय में सूचना उपलब्ध करें।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बाबू लाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 29.08.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई -:

बिंदु सं - (1, 3, 4 & 5) - ऐसी कोई सूचना सेंट्रल रजिस्ट्री में उपलब्ध नहीं है।

बिंदु सं (2) - आपका पत्र दिनांक 23.05.2024 संबंधित द्वितीय अपील फाइल में लिंक करके संबंधित रजिस्ट्री को भेजा गया है।

3. प्रथम अपील का आधार

"महाशय, अगर उल्लेखित विषय वास्तविकता के विपरीत है तब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह पत्र के माध्यम से प्रथम अपील और शिकायत को स्वीकारते हुये अविलम्ब मांगी गयी सूचनावेदनुसार सूचना उपलब्ध करें और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन नहीं कर इसका अवहेलना करने का दोषी संबंधित लोक सेवक को मानते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें क्योंकि लोक सेवक को स्वेच्छा से लोक कार्य करने का प्रावधान नहीं है।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00322 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 14.10.2024

(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)
रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

14/10/24

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
14 OCT 2024
D. No....................................
Initials....................................

o/c